रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 708] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 5, 2016/आश्विन 13, 1938
No. 708] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016/ASVINA 13, 1938

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2016

**सं. 58/2016-सीमा शुल्क**

**सा.का.नि. 956(अ).**—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एततद्वारा, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 157/1990-सीमा शुल्क, दिनांक 28 मार्च, 1990, जिसे सा.का.नि. 405(अ) दिनांक 28 मार्च, 1990 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिसूचना से संदर्भित किया गया है), यथा :-

2. उक्त अधिसूचना के पहले पैराग्राफ में, -

(क) प्रारम्भिक भाग में शब्दों 'या अनुसूची III'' को हटा दिया जाए;

(ख) शर्त (1) को हटा दिया जाए;

(ग) शर्त (5) को हटा दिया जाए।

3. पहले पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, यथा :-

''1क. पैराग्राफ 1 की शर्त (4) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर वस्तुओं का निर्यात न कर पाने की स्थिति में, फेडरेशन तथा आयातक संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से, आयात की तिथि के अनुसार वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क का, उस पर लागू ब्याज सहित, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे :

बशर्ते कि फेडरेशन का दायित्व सीमा शुल्क की राशि के अतिरिक्त, उस राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

बशर्ते इसके अतिरिक्त कि फेडरेशन उन मामलों में सीमा शुल्क का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा, जहां उक्त वस्तुओं को, ऐसी वस्तुओं पर लागू तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अनुसार तथा आयात की तिथि के अनुसार वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क का, उस पर लागू ब्याज सहित, भुगतान किये जाने पर, प्रदर्शनियों या मेलों में बेचा जाता है अथवा भारत में उनका अन्यथा निपटान किया जाता है।"

4. अनुसूची- II में, -

(क) क्रम सं. 5 में शब्दों "संस्मारक प्रकार का किसी अधिकारी" के स्थान पर "संस्मारक अथवा आधिकारिक प्रकार" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम सं. 5 के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याओं को शामिल किया जाएगा :-

"6. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के समक्ष डिस्प्ले या प्रदर्शन।

7. किसी भी कंपनी या संगठन द्वारा आयोजित मीटिंग, कांफ्रेंस या कांग्रेस, जिस नाम से भी पुकारा जाए।"

5. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची-III तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाए।

[फा. सं. 18000/1/2015-ओएसडी (आईसीडी)]

क्षितेन्द्र वर्मा, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना सं. 157/1990-सीमा शुल्क, दिनांक 28 मार्च, 1990 को सा.का.नि. 405(अ), दिनांक 28 मार्च, 1990 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 55/2007-सीमा शुल्क, दिनांक 12 अप्रैल, 2007 जिसे सा.का.नि. 287(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2007 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th October, 2016

**No. 58/2016-Customs**

**G.S.R. 956(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 157/1990-Customs, dated the 28th March, 1990 published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 405(E), dated the 28th March, 1990 (hereinafter referred to as the said notification), namely:-

2. In the said notification, in the first paragraph, -

(a) in the opening portion, the words "or Schedule III" shall be omitted;

(b) condition (1) shall be omitted;

(c) condition (5) shall be omitted.

3. After the first paragraph, the following shall be inserted, namely:-

"1A. In the event of failure to export the goods within the period specified in condition (4) of paragraph 1, the Federation and the importer shall, jointly and severally be liable to pay the duties of customs leviable on the goods as on the date of import, along with applicable interest:

Provided that the liability of the Federation shall not exceed the amount of the duties of customs by more than ten per cent:

Provided further that the Federation shall not be liable to pay the customs duty in cases where the said goods are sold in exhibitions or fairs or otherwise disposed of in India in accordance with any law for the time being in force applicable to such goods and on payment of the duties of customs which are payable as on the date of import in respect of such goods, along with applicable interest."

4. In Schedule II, -

(a) in serial number 5, for the words, "an official of", the words "an official or" shall be substituted;

(b) after serial number 5, the following serial numbers shall be inserted:-

"6. Display or demonstration before any Department of the Central Government or a State Government or a Union territory Administration.

7. Meeting, conference or congress, by whatever name called, organised by any company or organisation."

5. In the said notification, Schedule III and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. 18000/1/2015- OSD (ICD)]

KSHITENDRA VERMA, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 157/1990-Customs, dated the 28th March, 1990, was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 405(E), dated the 28th March, 1990 and was last amended by notification No. 55/2007-Customs, dated the 12th April, 2007, published vide G.S.R. 287(E), dated the 12th April, 2007.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.07 10:53:50 +05'30'